

अनुदान संख्या 63 - विधि और न्याय
GRANT No. 63 - LAW AND JUSTICE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted –	1417,28,00	1025,64,46	-391,63,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			293,22,80
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	15,02,00	..	-15,02,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			12,77,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय- सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O. 9788.00	8268.16	7032.52	-1235.64
पु.	R. -1519.84			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice			
मू.	O. 52416.00	21105.60	16590.09	-4515.51
पु.	R. -31310.40			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"			
निर्वाचन	Elections			
मू.	O. 18330.00	16830.59	15392.67	-1437.92
पु.	R. -1499.41			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 10000.00	2569.20	..	- 2569.20
पु.	R. -7430.80			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 43290.00	54713.80	54713.80	..
पु.	R. 11423.80			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O. 2500.00	3500.00	3500.00	..
पु.	R. 1000.00			
(I) ₹10235.50 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹10200.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-		(I) Provision of ₹10235.50 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹10200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-		
(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय - परियोजना प्रबंधन परामर्श" - ₹200.00 लाख संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण थे।		(A) Major Head "2014" - "Other Expenditure - Project Management Consultancy" - ₹200.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage.		
(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "न्याय प्रशासन" -		(B) Major Head "2552"- "Administration of Justice" -		
(क) "न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - ₹6500.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।		(a) "Grants for Infrastructural Facilities for Judiciary"- ₹6500.00 lakhs - due to re- appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.		
(ख) "जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण" - ₹3000.00 लाख राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न		(b) "Computerisation of District and Subordinate Courts" - ₹3000.00 lakhs - due to non-receipt		

होने और संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण थे।

- (ग) “राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए सहायता” - ₹500.00 लाख संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और पूर्वोत्तर राज्यों से कम मांग होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सचिवालय” -

- (क) “राजभाषा स्कंध” - ₹220.97 लाख की बचत (₹880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने, भारत सरकार मुद्रणालय से बिल प्राप्त न होने और छुट्टी यात्रा रियायत दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

- (ख) “विधायी कार्य विभाग” - ₹1255.53 लाख की बचत (₹4305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी निकायों से कम मांग प्राप्त होने, कार्यालय व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, पेशेवर सेवाओं के लिए कम दावे प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

- (ग) “विधायी विभाग - ₹125.90 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने, कम विदेशी यात्रा और भारत सरकार मुद्रणालय से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

- (घ) “न्याय विभाग” - ₹636.07 लाख की बचत (₹917.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए बजटीय लेखा शीर्ष न खोले जाने की वजह से शीर्ष “राष्ट्रीय न्याय प्रदान और न्यायिक सुधार” से निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

- (ङ) “राष्ट्रीय विधायी सेवा प्राधिकरण” - ₹183.44 लाख की बचत (₹395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

of viable proposals from the State Governments and cut imposed at revised estimates stage.

- (c) “Assistance to State Governments for establishing and Operating Gram Nyayalayas” - ₹500.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage and less demand from North Eastern States.

(II) Under Major Head “2052” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Secretariat”-

- (a) “Official Languages Wing”- saving of ₹220.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹880.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, non-receipt of bills from Government of India press and receipt of less leave travel concession claims.

- (b) “Department of Legal Affairs”- saving of ₹1255.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4305.00 lakhs) was due to less demands from the grantee bodies, less claims towards office expenses, domestic travel expenses, professional services and reduction of provision at revised estimates stage.

- (c) “Legislative Department” - saving of ₹125.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, less foreign travel and receipt of less claims from Government of India press.

- (d) “Department of Justice”- saving of ₹636.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹917.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds from the head ‘National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms’ owing to non-opening of new budgetary head of account.

- (e) “National Legal Services Authority”- saving of ₹183.44 lakhs (against the sanctioned

स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

provision of ₹395.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(खा) “अन्य कार्यालय - एकीकृत मुकदमा अभिकरण” - ₹268.36 लाख की बचत (₹1854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) “Other Offices - Unified Litigation Agency”- saving of ₹268.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1854.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष “2014” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head “2014” – savings occurred under the following heads:-

(का) “न्याय आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) - न्यायपालिका के लिए अवसरचरणात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” - ₹2000.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Judicial Commissioners (Union Territories without Legislature) – Grant for Infrastructural Facilities for Judiciary” - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the Union Territory Governments.

(खा) “विधि सलाहकार और परामर्शदाता - विधायी कार्य विभाग” - ₹186.45 लाख की बचत (₹2131.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाता शुल्क के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) “Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs” - saving of ₹186.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2131.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards counsels fee.

(गा) “अन्य व्यय” -

(C) “Other Expenditure”-

(क) “राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी” - ₹395.58 लाख की बचत (₹1074.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) “National Judicial Academy” – saving of ₹395.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1074.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the National Judicial Academy.

(ख) “राष्ट्रीय विधायी सेवा प्राधिकरण” - ₹260.64 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की वजह से राष्ट्रीय विधायी सेवा प्राधिकरण से निधियों की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “National Legal Services Authority (NALSA)” - saving of ₹260.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to less demand of funds from National Legal Services Authority owing to non-receipt of utilisation certificates.

(ग) “जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण” - ₹17858.68 लाख की बचत (₹26500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और राज्य सरकारों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(c) “Computerisation of District and Subordinate Courts”- saving of ₹17858.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and release of less funds to the State Governments.

(घ) “भारत में न्याय की पहुंच को सुदृढ़ करना” - ₹627.51 लाख की बचत (₹757.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(d) “Strengthening of Access of Justice in India (SAJI) (EAP)”- saving of ₹627.51 lakhs

तुलना में) कम मांग होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹757.00 lakhs) was due to less demand and non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(ड) “न्यायिक सुधार और निर्धारण स्थिति का अध्ययन” - ₹242.25 लाख की बचत (₹253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(e) “Study of Judicial Reforms and Assessment Status” - saving of ₹242.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹253.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(च) “राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए सहायता” - ₹14053.80 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने, कम मांग होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(f) “Assistance to State Governments for Establishing and Operating Gram Nyayalayas” - saving of ₹14053.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, less demand and non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष “2015” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(IV) Under Major Head “2015” – savings occurred under the following heads:-

(का) “निर्वाचन अधिकारी - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” - ₹416.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Electoral Officers - Reimbursement to State/ Union Territory Governments” – saving of ₹416.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(खा) “निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसका मुद्रण - राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” - ₹1706.00 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) “Preparation and Printing of Electoral Rolls – Reimbursement to State/Union Territory Governments”- saving of ₹1706.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs);

(गा) “लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” - ₹537.80 लाख की बचत (₹8450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) “Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held Simultaneously – Reimbursement to State/ Union Territory Governments” – saving of ₹537.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8450.00 lakhs); and

(घा) “मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति” - ₹178.00 लाख की बचत (₹1551.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) “Issue of Photo Identity Cards to Voters - Reimbursement to State Governments” – saving of ₹178.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1551.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to non-receipt of Audit Certificates from the State/ Union Territory Governments.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” - “योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन - विशेष न्यायालय - परिवार न्यायालय” के अंतर्गत ₹360.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹215.37 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक लेकिन ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान के 18 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” - ₹11783.80 लाख का अधिक व्यय (₹42790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” - ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(V) Under Major Head “3601” - “Non Plan Grants - Administration of Justice - Special Courts- Family Courts”- saving of ₹360.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of Audit Certificate.

(VI) Under three heads savings of ₹215.37 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 18 percent to 56 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grants for Infrastructural facilities for Judiciary”- excess of ₹11783.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42790.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grant for Infrastructural facilities for Judiciary”- excess of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards schemes for Union Territories with Legislature.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
------------------------------	--	-------------------

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4070”	Major Head “4070”	
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services	
मू.	O.	1502.00
पु.	R.	-1277.00

225.00

..

-225.00

(I) ₹1502.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1500.00 लाख अकेले “निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन का निर्माण” के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने और मांगें प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1502.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1500.00 lakhs alone accounted for under “Direction and Administration – Acquisition of Land and Construction of Building for Income Tax Appellate Tribunal” – due to non-acquisition of land for construction of building and non-receipt of demands.
